

संख्या- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

-: कार्यालय श्राप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्गिली कार्यालय और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2020-21 हेतु दिल्ली राज्य तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अधिका प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सभित प्रान्त सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से समाविष्ट संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दान पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता सभित की बैठक के मर्दान-2 में दिल्लीमा इन इंजीन पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता सभित द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

"निजी क्षेत्र में स्थापित दिल्लीमा इन इंजीन पाठ्यक्रम संचालित करने वाली दिल्लीमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में ए0आइ0सी0सी0ई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु गम्यवत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए0आइ0सी0सी0ई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम से सम्मुख अधिक पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सभित द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए0आइ0सी0सी0ई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को माइल सम्बद्धता सभित की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिक प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0सी0ई/द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	आर इन्जीनियरिंग ऑडिओ वीडियो सभित, उत्तर प्रदेश लखनऊ	सिद्धि इंजीन सभित	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0सी0ई/सी0सी0आई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1992 सेक्टर नियमवारी-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा इसके निर्धारण सभित द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजीन पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, जो वार्षिक फार्मली पाठ्यक्रम हेतु रू०-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मली पाठ्यक्रम के अधिलेख) हेतु रू०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्रायः किया जायेगा। उपरोक्त के अधिलेख छात्र/छात्राओं से शुल्क के समकक्ष में समकक्ष पर पालन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शास्नादेश प्रवारी होंगे, और उपर्युक्त शर्तवारी नियम वार्ता आयोजक होंगे। परिसर निर्धारण सभित द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु कीस का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो कीस की नवीकरण दत्त लागू होगी।
- ✓ संस्था को (30000 प्राविधिक शिक्षा सभितवारी) तथा उप सभितवारी, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जागा) विनियमवारी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परिक्षा परिषद द्वारा आयोजित शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीटों के शिक्षा रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

- ✓ संस्था को समग्र-समय पर निर्दिष्ट साधन-संसाधन को अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ops@aiitbhojpallo.com से आगामी सात्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनसूचियों/निर्देशों एवं विदेशीय प्राथमिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा आयोग आदि नियमों विनियमों आदेशों, निर्देशों का पालन करने में विधि बाध होगी।
- ✓ शिक्षणमा इन फार्मों पर पाठ्यक्रम की संस्कार यदि बी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में अपायजन्य रहती है तो इन संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही को लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। आधिकारिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जात है तथा दायर वाद के संबंध में ना. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ शिक्षणमा इन फार्मों पर पाठ्यक्रम संततित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लक्ष्यमन्त्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेगित प्रदेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी.सी.आई.सी. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद अव्याज्य की उपलब्ध करणा होगा अन्यथा उन्हे प्रदेश की (काउन्सिलिंग) के साध्यम से अन्यथा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आख्यान नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिक्रिया, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त प्रसाधन उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक संस्था के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था या सुनिश्चित हो से कि संस्था में प्रस्तावित/संवाहित पाठ्यक्रम को पढाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के संस्था उपलब्ध कराये गये अभिलेख, मुनि-मदन, कर्मचार, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता संस्था किसे जाने की अनुमति नहीं जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किसे जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किसे जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुसूचनासम्बन्ध कार्यवाही की जायेगी।

(मानेन्द्र कुमार कर्नीजिया)
 सचिव / सृष्टि सचिव

पृष्ठ-0- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141 पददर्शिक: 15-09-2020

प्रतिलिपि:- भगवानाथ/निदेशक, उच्च इन्वितरिंग कॉलेज गजाल हाइ, शिव, मन्, समन्त देवत

(मानेन्द्र कुमार कर्नीजिया)
 सचिव / सृष्टि सचिव

आचार्यलय, आय:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कर्मचारी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संचालित 2021-22 हेतु दिल्ली सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3000 प्रकाशकों से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कर्मचारी से सम्बद्धता समिति की बैठक संयोजन हुई। बैठक में समिति द्वारा संचालित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघमित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पठ्यक्रम/घोषा संख्या यदि संबंधित अन्य नदी पर विचार करते हुए संचालित 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्रकाशकों द्वारा संचालित 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3346-PRABHAT ENGINEERING COLLEGE, NATIONAL HIGHWAY, RAMIA, BARA, KAMPUR DEMAT

क्र.सं.	पठ्यक्रम का नाम	ए0.आई0सी0ई0ए0 सी0सी0आई0 द्वारा संचालित 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा संचालित 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
4	CIVIL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0.आई0सी0ई0ए0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमोंकी 1992, सीमेन्ट विनियमोंकी-2016 तथा अन्य निहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क/रीज वार्षिक पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30150.00/-, प्रतिवर्ष, दो वार्षिक वर्गों की पाठ्यक्रम हेतु रु0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक वर्गों की पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र छात्र से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्राध्यक्षों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्भर किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। कौन निर्धारण समिति द्वारा यदि संच 2021-22 हेतु कौन का पुनर्निर्धारण किया जाता है, न तो कौन की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को 30000 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमोंकी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा। शीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

